कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.04.2024

विषय:- थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के मामले मे वांछित अभियुक्त ऋतिक सोनकर गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0076/2024 धारा 328/376/377/504 भा0द0वि0 थाना सारनाथ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ऋतिक सोनकर पुत्र स्व0 राजेश सोनकर निवासी जगदीश अकबर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को आज दिनांक-01.04.2024 को समय करीब 13.45 बजे दौराने पूछताछ थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया । उक्त के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- माननीय न्यायालय के 156(3) सीआरपीसी के आदेश के अनुपालन मे प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-03.03.2024 को थाना सारनाथ में मु0अ0सं0-0076/2024 धारा 328/376/377/504 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया जिसमें प्रार्थिनी/पीडिता ने प्रार्थना पत्र में दिया कि अभियुक्त उपरोक्त ने देवी मंदिर मे दर्शन कराने के बहाने अपने साथ ले गया और रास्ते मे मुझे चाय पिलाया और चाय पीने के कुछ समय बाद से मेरा सर चकराने लगा और जब मुझे होश आया तो मै अपने आपको संदिग्ध हालत में विपक्षी के साथ एक रूम मे होती हूँ। इस पर जब मैंने पूछा तो ऋतिक बोला कि मै तुम्हारे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया हूँ और तुम्हारा अश्लील वीडियो भी बनाया हूँ यदि तुम इस बात को किसी को कहोगी तो मै तुम्हारा अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। लोक लाज के भय से प्रार्थिनी ने यह बात किसी से नही बताई जिसका लाभ उठाते हुए करीब तीन साल से विपक्षी ने शादी का झांसा देते हुए दिन प्रतिदिन जगह व स्थान बदल कर लगातार नशीला पदार्थ देते हुए जबरदस्ती अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाता रहा और बलात्कार करता रहा। प्रार्थिनी ने जब विपक्षी से शादी की बात किया तो उसने अपने हाथ की नस काट लिया तथा यह भी कहा कि यदि दोबारा शादी की बात की तो जान दे दूंगा। जब दुबारा विवाह हेतु कहा तो दिनांक 18.08.2023 ई0 को विपक्षी व उसके घरवाले प्रार्थिनी के घर आये और शादी ना करने व जान से मारने की धमकी दिये। उपरोक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 दीनानाथ यादव द्वारा संपादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- ऋतिक सोनकर पुत्र स्व0 राजेश सोनकर निवासी जगदीश अकबर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीनानाथ यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।